

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/ 968 /2024

दिनांक 12.03.2024

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/583/2024 दिनांक 16.02.2024 के द्वारा सुश्री मीनाक्षी जैन (RJ00394), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बीकानेर को दिनांक 26.02.2024 से 02.03.2024 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 24.02.2024 से 25.02.2024 एवं 03.03.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/26/2002/2090

दिनांक :12.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बीकानेर को उनके पत्रांक 08 दिनांक 19.02.2024 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री मीनाक्षी जैन (RJ00394), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बीकानेर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बीकानेर।


12/3/2024
सहायक रजिस्ट्रार